

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
बमुकद में ईबत्दाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहाय क कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 420/2024

वाद पत्र अं. धारा 88/53 आर.टी.ए.



1. जगदीश पुत्र सन्तराम जाति छिम्पा निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. अनिल कुमार पुत्र सन्तराम जाति छिम्पा निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. रामनिवास पुत्र सन्तराम जाति छिम्पा निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. संजय कुमार पुत्र सन्तराम जाति छिम्पा निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. राजीव खारीवाल पुत्र उमाशकर पुत्र लालचन्द जाति अग्रवाल निवासी संगरिया तहसील संगरिया।
4. ओमप्रकाश पुत्र उमाशकर पुत्र लालचन्द जाति अग्रवाल निवासी संगरिया तहसील संगरिया।
5. राजेश पुत्र रामनिवास जाति अग्रवाल निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
6. निर्मल पुत्र रामनिवास जाति अग्रवाल निवासी संगरिया तहसील संगरिया। जिला हनुमानगढ़।
7. पवन कुमार पुत्र साहबराम जाति बिश्नोई निवासी संगरिया तहसील संगरिया। जिला हनुमानगढ़।
8. सुशील पुत्र जगदीश पुत्र कानीराम जाति अग्रवाल निवासी व तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
9. ओमप्रकाश पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
10. कलावती देवी पत्नी रामचन्द्र जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
11. बलवीर पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
12. भागवन्ती पत्नी हनुमान जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
13. करनैल सिंह पुत्र दलीप सिंह जाति जटसिख नि.रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
14. मुख्त्यार सिंह पुत्र दलीप सिंह जाति जटसिख नि.रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
15. गणपत पुत्र सरदार जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
16. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बंडौदा शाखा संगरिया।
17. शाखा प्रबन्धक केनरा बैंक शाखा संगरिया।
18. शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा संगरिया।
19. शाखा प्रबन्धक एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा संगरिया।
20. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक :- 18.5.24

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे बहाजरी श्री राजेश बुढानिया वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री कुलदीप सिंह संरा वकील प्रतिवादी संख्या 1, श्री प्रेम भारद्वाज प्रति.स. 2, श्री विवेक बुढानिया वकील प्रति.स. 9 ता 12 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुम दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:- चक 3 एमजेडी

1. अनिल कुमार पुत्र सन्तराम जाति छिम्पा सा.संगरिया के कब्जा काश्त भूमि :-

प.न.	मु.न.	किला नं.
174/182	33	22/0.253, 23/0.079
174/183	44	2/1/0.228, 2/2/0.025, 3/1/0.228, 3/2/0.025, 4/1/0.228, 4/2/0.025, 5/1/0.203, 5/2/0.025, 7/1/0.089, 7/2/0.038, 8/1/0.114, 8/2/0.038, 9/1/0.164, 9/2/0.038,

2. जगदीश पुत्र सन्तराम जाति छिम्पा सा.संगरिया के कब्जा काश्त भूमि :-

प.न.	मु.न.	किला नं.
175/182	32	10/0.069
174/182	33	6/0.253, 15/0.228, 16/0.228, 17/0.253, 23/0.174, 24/0.253, 25/0.228

महायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

3. रामनिवास पुत्र सन्तराम जाति छिम्पा सा.संगरिया के कब्जा काश्त भूमि :-

प.न.	मु.न.	किला नं.
175/182	32	7/0.253, 8/0.253, 9/2/0.126, 10/0.184, 11./0.182, 12/0.182, 13/0.253, 14/0.253,

4. संजय कुमार पुत्र सन्तराम जाति छिम्पा सा.संगरिया के कब्जा काश्त भूमि :-

प.न.	मु.न.	किला नं.
174/183	44	6/1/0.049, 6/2/0.038,

5. अनिल कुमार, जगदीश, रामनिवास, संजय कुमार पि. सन्तराम जाति छिम्पा सा.संगरिया के कब्जा काश्त भूमि :-

प.न.	मु.न.	किला नं.
174/182	33	15/0.025, 16/0.025, 25/0.025
174/183	44	5/1/0.025, 6/1/0.002,
175/183	43	2/2/0.025, 9/0.013, 10/2/0.038, कुल 0.102 है. नहरी+0.076 गै. मुरास्ता,

6. पवन कुमार पुत्र साहब्राम जाति बिश्नोई सा.संगरिया के कब्जा काश्त भूमि :-

प.न.	मु.न.	किला नं.
175/182	32	1/1/0.228, 1/2/0.025, 2/1/0.228, 2/2/0.025, 3/1/0.228, 3/2/0.025, 198/1/0.127,

7. कलावतीदेवी पत्नी रामचन्द्र 0.875 हि. ओमप्रकाश, बलवीर पि. रामचन्द्र 0.264 हि. भागवन्ती पत्नी हनुमानं 1.0138 है. जाति जाट सा. रतनपुरा के कब्जा काश्त भूमि :-

प.न.	मु.न.	किला नं.
175/181	31	9 ता 13, 18,19,22,23/0.253 है. प्र.

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भूअ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भूअ./2024/1823 दिनांक 28.04.2026 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज......मुब्लिक......बाबत......खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक......को अदा करे।

बसबत मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक...18.5.2024...को खुले न्यायालय में जारी किया गया।



(जय कौशिक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया